हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25 4/25 पत्रावली पेश। अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखे जाने से पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 6/6/25 को पेश हो	
6 6/25 पत्रावली पेश। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 25/06/2025 को पेश हो	
25 6/25 पत्रावली पेश। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 23/7/25 को पत्रावली पेश हो	
23 7/25 पत्रावली पेश। पीठासीन अधिकारी अवकाश पर होने से पूर्व आदेशानुसार दिनांक 20/8/25 को पत्रावली पेश हो।	
20 8/25 पत्रावली पेश। पीठासीन अधिकारी दौरे/ मिटींग/ V.C. में व्यस्त होने से पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 15/10/25 को पेश हो।	
15/10/25 - पत्रावली पेश। बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक - 31/10/25 को पेश हो	
31 10/25 पत्रावली पेश। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने कथन	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	किया की विवादित भूमि ख०न० 4329/2571 वाके ग्राम गोठड़ा प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। अप्रार्थीगण, हमें हमारी भूमि पर से बेदखल करना चाहते है, जिसके लिये हमने दिनांक- 9/11/22 को थाने मे भी अप्रार्थीगण के विरूद्ध रिपोर्ट दी है। इनके द्वारा न्यायालय A.D.M. मे पेश की गई, धारा 14(4) की कार्यवाही खारीज हो चुकी है। कब्जे का अभाव होता तो हमे खातेदारी ही नही मिलती। प्रा०पत्र स्वीकार किया जाकर T.I. जारी की जावें।
	वकील प्रार्थीगण के उक्त तथ्यों के खण्डन में वकील अप्रार्थीगण ने कथन किया की विवादित भूमि पर हमारा कब्जा 50 वर्षों से चला आ रहा है, हमारे द्वारा खेतिया डाली जा रही है व मवेशीयों के काम भूमि आ रही है। इनका मूल वाद कब्जे के अभाव मे चलने योग्य नही है। इनको धारा 183 R.T.Act मे बेदखली का वाद लाना चाहिए था। कब्जे के अभाव मे प्रकरण पोषणीय नही होने से खारीज किया जावें।
	हमने बहस वकील पक्षकारान पर मनन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। विवादित भूमि ख०स० 4329/2571 ग्राम गोठड़ा प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है।
	प्रकरण के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु निर्धारित तीनों बिन्दुओं पर न्यायालय निष्कर्ष निम्न प्रकार है:-
उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली 1.	प्रथम दृष्टया मामला :- विवादित भूमि ख०स० 4329/2571 प्रार्थीगण की खातेदारी में अंकित होने से मामला प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में बनता है।

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

2. सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त :- विवादित भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी मे दर्ज होने व कब्जे काश्त मे चली आने से सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त भी प्रार्थीगण के हक में बनता है।

3. अपूरणीय क्षति की सम्भावना :- प्रार्थीगण की विवादित भूमि जो खातेदारी में अंकित है, पर लगी कांटो की बाड को नष्ट करने व भूमि पर जबरन कब्जा करने व खेडियाँ डालने से प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति की सम्भावना बनी हुई है।

अत: प्रकरण में तीनो बिन्दुओं पर अंकित विवेचनानुसार प्रा०पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित भूमि ख० न० 4329/2571 रकबा 0.0405 हैक्टेयर वाके ग्राम गोठडा प०भू० गोठडा के किसी भू-भाग पर जबरन कब्जा नही करें, प्रार्थीगण को बेदखल नही करें, भूमि के उपयोग-उपभोग में बाधा उत्पन्न नही करें, जबरन खेडीयो पर गोबर नही डालें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली